भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

वर्ष 2010-11 के लिए अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जनजातीय छात्रों का चयन

जनजातीय कार्य मंत्रालय का मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजातीय छात्रों को 10 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है । 10 अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों का चयन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा । उक्त कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति के संबंध में शर्तें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अनुसार होगी ।

पात्रता की शर्तें और आवेदन प्रपत्र संलग्न है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर भी उपलब्ध है । प्रपत्र, संयुक्त निदेशक (शिक्षा प्रभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय, कमरा नं. 400-बी, बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, (दूरभाष : 011-23384382) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

पात्रता

1.	न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं	गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ 10+2 अथवा समकक्ष
2.	आय	वर्ष 2009-10 में माता-पिता/अभिभावक की प्रतिवर्ष आय 1.45 लाख रुपए (मात्र एक लाख पैतालीस हजार रुपए) से अधिक नहीं होनी चाहिए (नियोक्ता अथवा सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
3.	राष्ट्रीयता	भारतीय
4.	छात्रवृत्तियों की संख्या	10
5.	प्रशिक्षण संस्थान	डीजीसीए द्वारा चयनित कोई अनुमोदित फ्लाइंग क्लब/संस्थान। अभ्यर्थी अपनी पसंद का उल्लेख कर सकते हैं।
6.	चयन	विनिर्दिष्ट केन्द्रों पर अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर।
7.	छात्रवृत्ति की राशि	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जनजातीय छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत देय अनिवार्य शुल्क तथा अन्य भत्ते।
8.	आवेदन कैसे करें	आवेदन प्रपत्र के विवरणों से युक्त आवेदन सादे कागज पर स्पष्ट अक्षरों में टाइप करके अथवा हाथ से लिखकर संयुक्त निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा अनुभाग), कमरा नं. 400 बी, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 को विज्ञापन के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर **अर्थात दिनांक 16.08.2010, शाम 5.00 बजे तक** पहुंच जाने चाहिए तथा उस तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। डीजीसीए से मान्यताप्राप्त फ्लाइंग क्लब में सीपीएल प्रशिक्षण हेतु पहले से ही प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजातीय छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।
9.	अपूर्ण आवेदन	अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा आवेदक को रद्द किए गए आवेदन के संबंध में दावा करने का अधिकार नहीं होगा तथा इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

हाल में खिचवाएं गए पासपोर्ट फोटो लगाए

आवेदन पत्र

(चयन वर्ष 2010-11 हेतु केवल अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम)
(हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए)

क्र. सं.	**विवरण**				
1	नाम (हाई स्कूल के अनुसार)				
2	पिता/पति का नाम				
3	जन्म तिथि				
4	जन्म स्थान (प्रमाण हेतु प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)				
5	आयु	वर्ष	महीने	दिन	
6	स्थायी आवास पता (पिन कोड सहित)				
7	पत्राचार हेतु पता (पिन कोड सहित) (स्पष्ट अक्षरों में)				
8	क्या आप अनुसूचित जनजाति के हैं (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रतिलिपि संलग्न करें)				
9	माता-पिता/अभिभावक की वर्ष 2009-10 की कुल आय				
10	**शैक्षिक अर्हताएं (हाई स्कूल से)**				
	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	**उत्तीर्ण परीक्षा**	**परीक्षा का वर्ष**	**विषय**	**प्राप्तांकों का प्रतिशत**
11	संदर्भ (अभ्यर्थी का संबंधी न हो)				
	(1)				
	(2)				
12	परीक्षा केन्द्र (केवल एक केन्द्र का चयन) दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, तथा पटना				

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य, पूर्ण एवं सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर : ....
आवेदक का नाम : ....
संपर्क दूरभाष सं. ....

स्थान तिथि

<u>सामान्य निर्देश</u>

(1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित अंक पत्र/प्रमाणपत्र/डिग्री की प्रतियां, जो शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि के समर्थन में हों ।

(2) केन्द्र सरकारी सेवाओं के लिए अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी के अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि ।

(3) पिता/अभिभावक का आय-प्रमाणपत्र,जो नियोक्ता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।

(4) पता लिखे एक लिफाफे (23 से.मी.x16 से.मी. आकार के) आवेदन पत्र के साथ भेजे जाएं।

(5) आवेदन-पत्र के साथ एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं तथा एक पासपोर्ट आकार का फोटो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें ।

<u>आवेदन कैसे करें %</u>

जनजातीय कार्य मंत्रालय की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश लेने के इच्छुक अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर **अर्थात दिनांक 16.08.2010, शाम 5.00 बजे तक** निर्धारित प्रपत्र में **संयुक्त निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा अनुभाग), कमरा सं. 400 बी, बी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110115** को आवेदन भेजें ।

*****